कृषि अनुभाग-2

संख्या: 05/2022/03/1588797/12-2099/3/2022-

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अन्तर्गत रू. 3387.68 लाख का केन्द्रांश (तैंतीस करोड़ सत्तासी लाख अरसठ हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

मानक मद	वित्तीय स्वीकृति (लाख रूपये में)
27-सब्सिडी	3387.20
42-अन्य व्यय	00.48
योग	3387.68

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप एन0एम0ए0ई0टी0 योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा,
2. स्वीकृत धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा,
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा,
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाएगा,
5. स्वीकृत धनराशि जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,
6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, जिन मामलों में व्यय करने के पूर्व प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए,
7. कृषि निदेशक द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए,
8. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए,
9. कोषागार से एक मुश्त आहरित धनराशि का आहरण न किया जाए, क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,
11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए,
12. वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

2. उक्त धनराशि वित्त विभाग की सहमति से, आदेश संख्या: आर.ई.संख्या-283, दिनॉक 18 जनवरी, 2022 (संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही है।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, अनुदान संख्या- 011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के मानक मद-27-सब्सिडी तथा लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

http://bharatkosh.up.gov.in

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
संलग्नक: यथोपरि।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 05/2022/03/1588797/12-2099/3/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/1715/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-3/5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र बीएम-9

धनराशि (लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त संक्रमण धनराशि
1	2	3	4	
अनुदान संख्या-011 24 01 00 109 01 01 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नालॉजी				
27-सब्सिडी	20110.61	3387.20	3387.20	3
42-अन्य व्यय	10026.32	0.48	0.48	
योग	30136.93	3387.68	3387.68	3
लेखाशीर्षक0 (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त संक्रमण
7	8	9	(9-8) 10	
अनुदान संख्या-011 24 01 00 109 01 04 2401-फसल कृषि कर्म 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0104-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी के अन्तर्ग्रत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन				
27-सब्सिडी	0.00	3387.20	3387.20	3
42-अन्य व्यय	0.00	0.48	0.48	
योग	0.00	3387.68	3387.68	3
(तैंतीस करोड़ सत्तासी लाख अरसठ हजार रूपये मात्र)				

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- केन्द्र पुरोनिधानित योजना में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में योजना का संचालन पी0एफ0एम0एस0 से किए जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्ष में केन्द्रांश का प्रावधान कराये जाने के कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एस0एम0ए0एम0 योजना के संचालन हेतु भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किए जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्ष में केन्द्रांश का प्रावधान कराए जाने के कारण।

3- प्रमाणित किा जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर.ई.संख्या-283, दिनॉक 18 जनवरी, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह) (फूलचन्द यादव)

http://sfsanadesh.up.gov.in

विशेष सचिव, कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

अनु सचिव, वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 03/1588797/12-2099/3/2022
लखनऊ: दिनॉक 25 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की तीन प्रतियों सहित),
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in